जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024

वामा सारथी कार्यक्रम अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वामा सारथी के अन्तर्गत माह-अप्रैल में दिनांक 07.04.2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 07.04.2024 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारीगण / कर्मचारीगण एवं उनके परिवारजनों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान चिकित्सकों के द्वारा अधिकारीगण / कर्मचारीगण के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के साथ उचित परामर्श दिया गया। इस अवसर पर सदर चिकित्सक डॉ0 ए0पी0 गुप्ता, श्री कुलदीप पासवान व श्री रत्नेश एल टी काउन्सलर सभी उपकरण के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री ब्रजेश सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनीकान्त ओझा सहित समस्त अधिकारीगण / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 07.04.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** 02 वारण्टी नाम पता 1- मंदीप यादव पुत्र शिवपूजन निवासी कोदवट थाना महुली 2- श्रीचन्द वर्मा पुत्र रामकिशुन वर्मा निवासी मोतीनगर कालोनी नियर आदर्श होटल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह, का0 विजय कुशवाहा, का0 अमरजीत यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत मेंहदावल से इवेन्ट संख्या 37414 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (1- सिकन्दर मौर्य पुत्र रामजी मौर्य निवासी मरवटिया थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती व 2- सत्यनरायन मौर्य पुत्र प्रेमदास मौर्य निवासी कंजल पुरवा जनपद गोण्डा) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 संतोष कुमार पटेल, आ0 प्रवीण कुमार, हो0चा0 पंकज मिश्रा।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 135 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 135 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनॉक 07.04.2024

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री शशिशेखर सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी दुधारा श्री ब्रजेश सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 07.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 168 / 2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कुर्बान अली पुत्र रमजान अली निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये महिला प्रसूति अस्पताल दुधारा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कुर्बान अली पुत्र रमजान अली निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीनगर।

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 123/2022 धारा 411/413/414 भादवि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

व0उ0 नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 अनुज कुमार।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 07.04.2024

थाना साइबर क्राइम द्वारा कार्यवाही करते हुए खुद को जेलर बताकर जेल में बन्द कैदी को छोड़ने के नाम पर 50 हजार रूपया ठगने के मामले में वाँछित अभियुक्त को ठगी से प्राप्त 46500 रू0 नकद, 01 अदद नीले रंग का पोको कंपनी का मोबाइल, 16 अदद आभूषण व मोबाइल की रसीद व 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 06 अदद भारतीय सिम व 01 अदद नेपाली सिम के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 20.02.2024 को थाना साइबर क्राइम पर वादिनी सबनम पत्नी मो0 इरफान निवासी पैतवलिया खुर्द मडपौना थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 17.02.2024 को उनके नम्बर पर फोन करके खुद को जेलर बताते हुए जेल में बन्द उनके कैदी भाई सरफराज को छोड़ने के नाम पर 50 हजार रूपया ठग लिया गया है। जिसके उपरान्त थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 01/2024 धारा 417/418/419/420 भा0द0वि0 व 66 (डी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 07.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री शशिशेखर सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम *श्री आलोक कुमार सोनी* के नेतृत्व मे थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2024 धारा 417/418/419/420 भा0द0वि0 व 66 (डी) आईटी एक्ट के मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त नाम पता नाम आर्यन चौहान उर्फ मनोज चौहान पुत्र स्व0 श्यामलाल चौहान निवासी ग्राम नरकटहा नेहरूनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को मा0 सर्वोच्य न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए दुर्गा मन्दिर तिराहा मगहर के पास से ठगी से प्राप्त 46500 रु0 नकद, 01 अदद नीले रंग का पोको कंपनी का मोबाइल, 16 अदद आभूषण व मोबाइल की रसीद व 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 06 अदद भारतीय सिम व 01 अदद नेपाली सिम के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया व उक्त अभियोग में अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त धारा 384/467/468 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी है।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

आर्यन चौहान उर्फ मनोज चौहान पुत्र स्व0 श्यामलाल चौहान निवासी ग्राम नरकटहा नेहरूनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

1- 46500 रु0 नकद (ठगी से प्राप्त) ।
2-01 अदद नीले रंग का पोको कंपनी का मोबाइल ।
3-16 अदद आभूषण व मोबाइल की रसीद ।
4- 02 अदद कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति ।
5- 06 अदद भारतीय सिम व 01 अदद नेपाली सिम ।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि संतकबीरनगर की रहने वाली शबनम पत्नी मो0 इरफान को फोन कर खुद को जेलर बताकर उसके भाई सरफराज जो कि जेल में बन्द था उसे छोड़ने के नाम पर पचास हजार रूपये विभिन्न जनसेवा केन्द्रों के क्यू आर कोड के माध्यम से मंगा लिया था । अभियुक्त द्वारा बताया गया कि लोगो से फ्राड करके उनके पैसे से ज्वैलरी ,मोबाइल व अन्य सामान खरीदता रहता हूँ तथा परिवार व रिश्तेदारों के नाम से सिम झांसे में डालकर निकलवा लेता हू तथा उस सिम का प्रयोग लोगों के साथ फ्राड करने में प्रयोग करता हूँ तथा दूसरे के आधार नम्बर पर अपना फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर सहज जनसेवा केन्द्र अथवा दुकानदारों के खाते में पैसा मंगा लेता हूँ तथा आईडी मंगाने पर फर्जी आईडी दिखा देता हूँ ताकि पहचान छिपी रहे ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री आलोक कुमार सोनी, उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 रामप्रवेश मद्देशिया, म0का0 सविता गुप्ता ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.04.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 07.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गए हैं । थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 03 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे **'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोडने की एक पहल)** का आयोजन में आज दिनांक **07.04.2024 को** परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी** के अध्यक्षता में **03** मामले आये । जिसमें सुलह समझौता करवाया गया ।

1.**प्रथम पक्ष –** रोशनी परवीन पुत्री सन्तोष निवासी ग्राम – बारीईपार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर व **द्वितीय पक्ष –** सूरज पुत्र मिठाई निवासी ग्राम मोहद्दीरनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है । दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया ।
2.**प्रथम पक्ष –** प्रीती पुत्री धमालु निवासी ग्राम – ढोडया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** विशाल पुत्र अंगद निवासी ग्राम – डाडया सोनबराय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है । दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया ।
3.**प्रथम पक्ष –** मिसलावती पुत्री श्री ओरीलाल निवासी ग्राम – ककरवह थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** रामआशीष पुत्र कालिका प्रसाद निवासी ग्राम – चित्रखोर थाना लालगंज जनपद बस्ती के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है । दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया ।